

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2314/13

दिनांक:24.04.2024

सेवा में,

श्री महेश चन्द्र,
पुत्र श्री हीरा बल्लभ, नि. ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी,
पो. ओ.धनौरी, तहसील काशीपुर,
जिला उधमासिंह नगर-244713 मो. न.6397497668

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2024 के संदर्भ में ।


महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2024 जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 09.04.2024 को प्राप्त हुआ । इस संदर्भ में आपने बिंदु न.1 से 3 तक की जानकारी चाही है:

बिंदु संख्या	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	यह कि इस आशय का शासनादेश की प्रमाणित छायाप्रति 04 कापी में उपलब्ध कराये जिसेके अंतर्गत आपके विभाग द्वारा विधुत पारेषण लाईन के निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए वृक्ष मुआवजा का भुगतान वर्ष 2014-15 व 2015-16 में किया गया ।	आप किस लाईन की जानकारी चाहते है यह सपष्ट नहीं है । समान्यतः जिस भी अवधि में विधुत पारेषण लाईन के निर्माण किया जाता है एवं निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त वृक्ष एवं फसल का मुआवजा देने का प्रावधान भारतीय विधुत अधिनियम एवं भारतीय तार अधिनियम मे निहित है । प्रभावित किसान को मुआवजे का भुगतान राजस्व विभाग एवं वन विभाग से स्वामित्व सत्यापन के उप्रांत अधिसुचित दर एवं सम्बंधित जिला अधिकारियों के निर्णय के अनुसार किया जाता है ।
2	अपने अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता से अवगत कराये ।	श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे. 1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय, SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301
3	अपने द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता से अवगत कराये ।	द्वितीय अपीलीय अधिकारी, केंद्रिय सूचना आयोग, नई दिल्ली से होता है नाम या पदनाम से सम्बंधित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है ।

धन्यवाद ।

भवदीय



[उपेन्द्र सिंह]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305